जज के कन्नन

सुरेश कुमार, -पुटिशनर

बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, उत्तरदाता

1989 का CWP नंबर 1397

28 जून, 2010

आयोजित, कि एक तदर्थ पदोन्नति किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के लिए वरिष्ठता का दावा करने के लिए एक निहित अधिकार नहीं बनाती है, जिसे बाद में नियुक्त किया जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिक्ति में जिसके लिए उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर दावे थे, जिसे तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। नतीजतन, यदि याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर पूर्वाग्रह के बिना नियुक्त किया गया था, तो तीसरे प्रतिवादी के सही दावों के लिए और जब तीसरी प्रतिवादी की अनुपस्थिति को नियमित किया गया था और नियमित रूप से रिक्ति में पदोन्नति की पेशकश की गई थी, हालांकि बाद में, उन्हें वरिष्ठ के रूप में इलाज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता के पास एक शिकायत नहीं हो सकती है कि इस तथ्य से कि उसने तदर्थ सेवा में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उसे अभी भी 3 उत्तरदाता के लिए वरिष्ठ के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता का दावा और तीसरे प्रतिवादी के ऊपर रखे जाने के अनुरोध के लिए, इसलिए, योग्यता स्वीकृति नहीं है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, कि 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में, यह राज्य द्वारा कहा गया है कि 4 वें प्रतिवादी हालांकि वरिष्ठता के आदेश में याचिकाकर्ता के नीचे, उन्हें अगले पर पदोन्नत किया गया था

पिछड़े वर्ग रिक्ति के खिलाफ उच्च पद। याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता की स्थिति को बनाए रख सकता है यदि उसे बाद में पदोन्नत किया जाता है और 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ पदोन्नत पद में अपनी वरिष्ठता को पकड़ता है। यह मामला संविधान के 85 वें संशोधन से पहले आता है और इसलिए, यह संभावना नहीं है कि उनकी

वरिष्ठता आरक्षित उम्मीदवार को इस तथ्य से खो जाती है कि एक सामान्य उम्मीदवार बाद में एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को पदोन्नति प्राप्त करता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को पदोन्नति पोस्ट में 4 वें प्रतिवादी के लिए वरिष्ठता के क्रम में उच्च रखा जाने का हकदार है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, कि वरिष्ठता सूचियों के विश्लेषण पर, हमने देखा है कि तीसरी प्रतिवादी को वरिष्ठ के रूप में माना जाने का हकदार है और हमेशा इस तरह से रैंक करेगा। 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ वरिष्ठता के लिए याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में। जबकि 4 वें प्रतिवादी पिछड़े वर्ग के लिए एक आरक्षित पद के खिलाफ एक पदोन्नति का हकदार था, याचिकाकर्ता को सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किए जाने पर बाद में निचले कैडर में एक रिश्तेदार वरिष्ठता के संदर्भ में पदोन्नत पद पर वरिष्ठता के साथ पकड़ने का हकदार था। इसलिए, तीसरे प्रतिवादी को वरिष्ठ के रूप में माना जाने का हकदार है और तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के दावे को बनाए नहीं रखा जा सकता है। एक आरक्षित श्रेणी के खिलाफ कार्लियर प्रमोशन की तारीख याचिकाकर्ता पर वरिष्ठता का दावा करने के लिए 4 वें प्रतिवादी को हकदार नहीं होगी। इसी कारण से, 5 वीं प्रतिवादी भी याचिकाकर्ता पर वरिष्ठता प्राप्त नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता पदोन्नति पोस्ट में वरिष्ठता के रिटिक्स का हकदार है, जो कि प्रतिवादी नोस 4 और 5 दोनों के ऊपर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को बनाए रखते हुए है।

(पैरा 8)

अरुण जैन। अमित जैन के साथ सेनियर वकील, याचिकाकर्ता की वकालत करते हैं।

सुभश आहूजा। वकील, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

अशोक गुप्ता। प्रतिवादी नंबर 4 के लिए वकील।

जज के कन्नन

(1) याचिकाकर्ता वरिष्ठता के विजिट-ए-विज़ रेस्पोंडेंट नं। 3 और 4. के संबंध के लिए चाहता है। हुडा और प्रतिवादी नोस 3 और 4 की सेवाओं में भी उसी पोस्ट में भर्ती किया गया था और बाद में याचिकाकर्ता की तुलना में शामिल हुए। याचिकाकर्ता ने 25 जुलाई, 1978 को HUDA द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से सात नियुक्तियों में से एक के रूप में एक के रूप में

आंकड़े किया। 4 वें प्रतिवादी भी उसी तारीख को एक नियुक्ति के रूप में आंकड़े भी करते हैं, लेकिन सीनियर नंबर 7 पर रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता को सीनियर में रखा गया था। नंबर 6. 12 दिसंबर, 1983 को जारी एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता और 4 वें प्रतिवादी दोनों को सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में अगले उच्च पद को बढ़ावा दिया गया है। इसी आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले के निर्णय के लिए पूर्वाग्रह के बिना थी। अपने लिखित बयान में तीसरे प्रतिवादी ने इस तथ्य को संदर्भित किया कि उन्हें 25 जुलाई, 1978 को एक नियमित रिक्ति (R3/1) के खिलाफ एक ही तारीख में भी नियुक्त किया गया था और 8 अगस्त, 1978 को अधीक्षक अभियंता, घेरा फरीदाबाद के कार्यालय में शामिल किया गया था।

(२) याचिकाकर्ता का विवाद यह है कि तीसरी प्रतिवादी पूर्व अनुमति मांगने के बिना एक लंबी छुट्टी पर आगे बढ़ा था और भारत वापस आने पर जब वह सेवा में शामिल हो गया, तो मुख्य प्रशासक, हुडा ने मुख्य शहर के योजनाकार, हुडा से पूछा था। कैसे तीसरे प्रतिवादी को कार्यालय में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और मुख्य टाउन प्लानर से अनुरोध किया गया था कि वह अधिकारियों की ओर से चूक के लिए जिम्मेदारी को ठीक कर दे और पहले हेड ओलिस को रिपोर्ट करने के लिए तीसरे प्रतिवादी को निर्देशित करने में विफल रहा। हालांकि, ये सभी संचार 25 अक्टूबर, 1984 को तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ सेंसर के आदेश के अलावा कुछ भी नहीं आए।

(3) इस बीच, याचिकाकर्ता ने 12 दिसंबर, 1984 को सहायक ड्राफिस्मन के उच्च पद पर परिवीक्षा की अपनी अवधि पूरी कर ली थी। याचिकाकर्ता का विवाद यह है कि तीसरे प्रतिवादी और 4 वें प्रतिवादी को बढ़ावा देने का आदेश जारी किया गया था। केवल 11 जुलाई, 1988 को और इसका मतलब था कि वे याचिकाकर्ता के लिए जूनियर थे, इस तथ्य के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने 12 दिसंबर, 1984 को भी सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली थी। हालांकि, जब प्रतिवादी नोस 3 के लिए पदोन्नति के आदेश। और 4 4 जुलाई को जारी किया गया था। 1988, यह विशेष रूप से कहा गया था कि उन्हें स्थायी रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी की छुट्टी रिक्ति के खिलाफ तदर्थ आधार पर विशुद्ध रूप से पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता। इसलिए, एक शिकायत थी कि प्रतिवादी नं। 3 और 4 को स्थायी पद की पेशकश नहीं की जा सकती थी, जबकि याचिकाकर्ता को खुद को यूडी हॉक

आधार पर पद धारण करने के रूप में व्यवहार किया और समीक्षा के लिए 18 जुलाई, 1988 को एक पत्र का निर्णय एक प्रतिनिधित्व दिया । अनुस्मारक 31 अगस्त, 1988 को दिया गया था और 17 नवंबर, 1988 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जब मुख्य प्रशासक, हुडा ने घोषणा की कि याचिकाकर्ता, जिसे केवल पदोन्नत किया गया था, ने घोषणा की। शेड्यूल की गई जाति के लिए आरक्षित रिक्ति के खिलाफ विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में वापस करने के लिए उत्तरदायी था। यह 17 नवंबर, 1988 को दिनांकित कार्यालय का आदेश है, जो रिट याचिका में चुनौती का विषय है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शामिल होने की तारीख के संदर्भ में, याचिकाकर्ता 31 जुलाई, 1978 को शामिल हो गया था, जबकि प्रतिवादी नं। 3 और 4 क्रमशः 8 अगस्त, 1978 और 25 जुलाई, 1978 को शामिल हुए। वह इस तथ्य का उल्लेख करके अपने वरिष्ठता के दावों के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कि याचिकाकर्ता को 12 दिसंबर, 1983 को प्रतिवादी नं। 4 के साथ सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था और 12 दिसंबर, 1984 को सफलतापूर्वक प्रोबेशन पूरा कर लिया है, जबकि तीसरी प्रतिवादी ने प्रतिवादी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। केवल 28 दिसंबर, 1984 को केवल अस्थायी आधार पर सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता का दावा था कि उन्हें गुरिंदर सिंह की प्राथमिकता में नियमित पद पर पदोन्नत किया जाना था और इसलिए, उन्हें रिट याचिका में 5 वें प्रतिवादी के रूप में भी जोड़ा गया था। लिखित बयान प्रतिवादी नोस द्वारा दायर किए गए हैं। 2. 3 और 4 जबकि 5 वें प्रतिवादी ने अनुपस्थित रहने के लिए चुना है। यह दूसरा प्रतिवादी का विवाद है कि मेरिट सूची को चित्रित करते समय चयन प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता को सीनियर नंबर 9 पर दिखाया गया था, जबकि उत्तरदाताओं के नंबर 3 और 4 को क्रमशः सीनियर नोस 1 और 10 में रखा गया था। । यह एसआर .. नं। से 3 से 3 से 3 नियमित रूप से भर्ती करने का निर्णय लिया गया था, जबकि बाकी को तदर्थ आधार पर रखा गया था। उन्हें तदनुसार नियुक्ति पत्र के साथ जारी किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता और 4 वें प्रतिवादी की सेवाओं को बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियमित किया गया था। तीसरी प्रतिवादी, जो एक नियमित नियुक्तिकर्ता था और जिसे योग्यता के क्रम में उच्च रखा गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ के रूप में इलाज करने की आवश्यकता थी। रिपोर्ट में शामिल होने के बावजूद, यह नियुक्ति और योग्यता की स्थिति का आदेश है, जो वरिष्ठता को ठीक करने

के उद्देश्य से प्रासंगिक थे। यह द्वितीय प्रतिवादी के लिखित बयान में भर्ती है कि 4 वें प्रतिवादी जूनियर था I याचिकाकर्ता के लिए, जबकि अकेले तीसरे प्रतिवादी याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ थे। इस तथ्य को और स्वीकार करते हुए कि तीसरी प्रतिवादी बिना मंजूरी के छुट्टी पर चली गई थी और इसलिए, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का अपना प्रचार केवल तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना किया गया था।

(५) इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि तीसरे प्रतिवादी ने उस अवधि के लिए असाधारण अवकाश के लिए मंजूरी प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके दौरान वह विदेश गए थे, 2 वें प्रतिवादी ने कहा कि तीसरे प्रतिवादी को लेने के लिए अपने हिस्से पर एक चूक के लिए चार्ज किया गया था। बिना किसी मंजूरी के छोड़ दें, लेकिन चूंकि केवल सेंसर की सजा थी, तो वह कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और इस तथ्य को देखते हुए कि तीसरा प्रतिवादी इस तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ था कि उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था और भी योग्यता के क्रम में उच्च रखा गया और इसलिए याचिकाकर्ता के आगे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। 4 वें प्रतिवादी खुद हालांकि याचिकाकर्ता के लिए जूनियर को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित एक पोस्ट के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता एक सामान्य श्रेणी के अधिकारी थे, उन्हें केवल तीसरे प्रतिवादी की छुट्टी रिक्ति के खिलाफ पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को 25 नवंबर, 1988 से प्रभावी जाति के लिए आरक्षित पोस्ट के खिलाफ तदर्थ ड्राफ्ट्समैन के रूप में 25 नवंबर, 1988 से प्रभाव से पदोन्नत किया गया था और इस तरह से जारी रखा गया था।

(६) तीसरे प्रतिवादी ने भी अपना लिखित बयान दायर किया है, इस तथ्य को दोहराया कि वह योग्यता के क्रम में अधिक था और 25 जुलाई, 1978 को ठोस रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति के आदेश ने उसे याचिकाकर्ता के ऊपर स्थान दिया, जिसे केवल तदर्थ पर नियुक्त किया गया था आधार और बाद में नियमित किया गया था। अपने आप में शामिल होने की तारीख को वरिष्ठता के निर्धारण के लिए निर्धारित मानदंड नहीं होना चाहिए। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि बाद में उनकी खुद की अनुपस्थिति को नियमित किया गया था, जो उन्हें इस तरह के कारण छोड़कर और सेंसर की सजा के साथ दौरा किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च पद पर अपनी वरिष्ठता को बनाए रखते हुए पदोन्नति के लिए विचार करने का हकदार था। तीसरे प्रतिवादी ने हरियाणा सर्विस क्लास- III आर्किटेक्चर

रूल्स के विभाग को बताया (प्रतिवादी-विभाग द्वारा भी अपनाया गया) जहां नियम 13 यह प्रदान करता है कि अकेले नियुक्ति का आदेश शामिल होने की तारीख के बावजूद वरिष्ठता के मुद्दे को नियंत्रित करेगा। प्रासंगिक नियमों के नियम 10 यह प्रदान करता है कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी और ट्रेसर के पद से पदोन्नति सहायक ड्राफ्ट्समैन को योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर बनाया गया था और वरिष्ठता स्वयं इस तरह के प्रचार का आधार नहीं है। उस समय भी जब याचिकाकर्ता को वर्ष 1984 में पदोन्नत किया गया था, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि उन्हें तीसरे प्रतिवादी के दावे के लिए पूर्वाग्रह के बिना तदर्थ आधार पर पदोन्नति की पेशकश की जा रही थी और 3 वें प्रतिवादी के अनुसार इसका मतलब था कि उन्हें माना गया था अधिक मेधावी।

(7) यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि एक तदर्थ पदोन्नति किसी व्यक्ति में एक व्यक्ति के लिए वरिष्ठता का दावा करने के लिए एक निहित अधिकार नहीं बनाती है, जिसे बाद में नियुक्त किया जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिक्ति में जिसके लिए उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर दावे थे, जो था, जो था। तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया। नतीजतन, यदि याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर पूर्वाग्रह के बिना नियुक्त किया गया था, तो तीसरे प्रतिवादी के सही दावों के लिए और जब तीसरी प्रतिवादी की अनुपस्थिति को नियमित किया गया था और नियमित रूप से रिक्ति में पदोन्नति की पेशकश की गई थी, हालांकि बाद में, उन्हें वरिष्ठ के रूप में इलाज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता के पास एक शिकायत नहीं हो सकती है कि इस तथ्य से कि उसने तदर्थ सेवा में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उसे अभी भी 3 उत्तरदाता के लिए वरिष्ठ के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता का दावा और तीसरे प्रतिवादी के ऊपर रखे जाने के अनुरोध के लिए, इसलिए, योग्यता स्वीकृति नहीं है। जैसा कि 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में है, यह राज्य द्वारा कहा गया है कि 4 वें प्रतिवादी हालांकि वरिष्ठता के आदेश में याचिकाकर्ता के नीचे, उन्हें पिछड़े वर्ग की रिक्ति के खिलाफ अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता की स्थिति को बनाए रख सकता है यदि उसे बाद में पदोन्नत किया जाता है और 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ पदोन्नत पद में अपनी वरिष्ठता को पकड़ता है। यह मामला संविधान के 85 वें संशोधन से पहले आता है और इसलिए, यह संभावना नहीं है कि उनकी वरिष्ठता आरक्षित उम्मीदवार को इस तथ्य से खो जाती है कि एक सामान्य

उम्मीदवार बाद में एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को पदोन्नति प्राप्त करता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को पदोन्नति पोस्ट में 4 वें प्रतिवादी के लिए वरिष्ठता के क्रम में उच्च रखा जाने का हकदार है। जैसा कि 5 वें प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में, हमने पहले ही देखा कि एसटीएच प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान को नहीं बनाया है। संशोधित रिट याचिका के जवाब में, राज्य ने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए लिखित बयान दायर किया है कि 5 वें प्रतिवादी को एक ट्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था ।-- 7 दिसंबर दिसंबर दिनांकित आदेश। 1981 और 18 दिसंबर, 1981 को इस तरह से शामिल हुए। उन्हें 6 मई को एक सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1987 और इसलिए, याचिकाकर्ता के नीचे रखा गया वरिष्ठता सूची में। संशोधित के लिए द्वितीय प्रतिवादी का लिखित विवरण याचिकाकर्ता की रिट याचिका इस तथ्य से आगे बताती है कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित एक उषा किरण जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हो गई, जिस पर याचिकाकर्ता को 25 नवंबर, 1988 के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था और इसलिए, उसे पदोन्नत किया गया था। 9 फरवरी, 1995 को आरक्षित पद के खिलाफ एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में और याचिकाकर्ता, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित है, वह 9 फरवरी, 1995 को उपलब्ध पोस्ट के खिलाफ तदर्थ आधार पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में जारी रहा। इसके बाद, जब जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक और पोस्ट सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध हो गया, 5 वीं प्रतिवादी जो सामान्य श्रेणी से संबंधित थी, को 30 जुलाई, 1997 को जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। 14 जनवरी को अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। 1999 जब प्रतिवादी नोस 3 और 4 को याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया था क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता से पहले नियमित रूप से जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था और 5 वें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को जूनियर दिखाया गया था। 2 वें प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के बाद और रिकॉर्ड के माध्यम से जाने के बाद, जूनियर ड्राफ्ट्समैन को याचिकाकर्ता के तदर्थ पदोन्नति को 9 फरवरी, 1995 से प्रभावी किया गया था जब सामान्य श्रेणी के लिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन का पद याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उठाए गए विवाद के लिए पूर्वाग्रह के बिना उपलब्ध हो गया। उत्तरदाताओं का नंबर 3 और 4 हमेशा सहायक ड्राफ्ट्समैन और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ रहे हैं और 4 वें प्रतिवादी को 25 अक्टूबर को सीनियर ड्राफ्टमैन के रूप में

तीसरे प्रतिवादी के साथ पदोन्नत किया गया था। 2000. यह फिर से कहा गया है कि इस रिट याचिका में किसी भी निर्णय के अधीन जूनियर ड्राफ्ट्समैन की सूची में वरिष्ठता के अंतिमीकरण के लिए पूर्वाग्रह के बिना कहा जाता है। 1989 का नंबर 1397। याचिकाकर्ता को 14 दिसंबर को बाद में पदोन्नत किया गया था। 2001 सीनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर।

(8) उस समय से जब रिट याचिका दायर की गई थी, कई वरिष्ठता सूची को अस्थायी रूप से तैयार किया गया है, जिन्हें इस रिट याचिका में निर्णय के अधीन कहा गया है। विश्लेषण पर, हमने देखा है कि तीसरे प्रतिवादी को वरिष्ठ के रूप में माना जाता है और हमेशा इस तरह से रैंक करेगा। जैसा कि 4 वें प्रतिवादी के खिलाफ वरिष्ठता के लिए याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में है, जबकि 4 वें प्रतिवादी को पिछड़े वर्ग के लिए एक आरक्षित पद के खिलाफ एक पदोन्नति का हकदार था, याचिकाकर्ता को सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। निचले कैडर में एक सापेक्ष वरिष्ठता का संदर्भ। यह उत्तरदाताओं की ओर से कहा गया है कि याचिका के लिए विफल हो जाएगा आवश्यक पार्टियों के गैर-जॉइनर। याचिकाकर्ता के पास केवल एक शिकायत थी तीसरा प्रतिवादी और 4 वां प्रतिवादी और 4 वें प्रतिवादी की उपस्थिति। जो उसके लिए जूनियर था और याचिकाकर्ता के अनुसार कौन था सहायक ड्राफ्ट्समैन के पद पर पहले पदोन्नत Jusuly के लिए पर्याप्त था उसका दावा। आवश्यक पार्टियों के गैर-जेंडर के बारे में याचिका इसलिए, इसलिए, नहीं। प्रतिवादी के लिए पेश होने वाले वकील भी बनाता है I तेजिंदर सिंह में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ संधू बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) में शामिल होने की तारीख वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं होगा और यह आदेश है नियुक्ति जो प्रासंगिक होगी। हम पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर चुके हैं प्रासंगिक सेवा नियमों के संदर्भ में उसी पर पहुंचने के लिए खुद निष्कर्ष। फिर भी प्रतिवादी द्वारा एक और आपत्ति यह है कि देरी है वरिष्ठता को चुनौती देने में। मुझे नहीं लगता कि कोई देरी है। विलंब इस तथ्य से समझाया गया है कि याचिकाकर्ता के बारे में नोटिस ले सकता है वरिष्ठता की स्थिति और वरिष्ठता केवल तभी प्रभावित हुई जब पदोन्नति सहायक ड्राफ्ट्समैन के पद को उत्तरदाता के रूप में तदर्थ के रूप में माना जाता था

Nos 3 और 4 को वर्ष 1988 में पदोन्नति के लिए माना गया था। रिट एक प्रतिनिधित्व के तुरंत बाद दायर याचिका, इसलिए, समय के भीतर है। वाई। राममोहन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (2) उनका समर्थन करने के लिए

इस बात का ध्यान है कि वरिष्ठता के मुद्दों पर अदालत के पास पहुंचने में देरी व्यक्ति को अलग कर देगा, इसलिए फिर से आवेदन नहीं कर सकता। यह भी विरोध किया जाता है एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रतिवादी के लिए उपस्थित होने वाले वकील द्वारा इसके परिणामस्वरूप कोई भी सजा सही नहीं हो सकती है माननीय के एक निर्णय के संदर्भ में पदोन्नति के लिए विचार सुप्रीम कोर्ट एमडी में। हबीबुल हक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (3)। यह एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में है जो तीसरी प्रतिवादी, कौन है केवल उनकी लंबी अनुपस्थिति के लिए सेंसर किया गया था, किसी भी विघटन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पदोन्नति के लिए विचार से। हम उसी निष्कर्ष पर आए हैं पहले से ही इस तथ्य के संदर्भ में कि तीसरा प्रतिवादी होने का हकदार है तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ वरिष्ठ और याचिकाकर्ता के दावे के रूप में माना जाता है निरंतर नहीं किया जा सकता है। एक आरक्षित के खिलाफ पहले के प्रचार की तारीख श्रेणी 4 वें प्रतिवादी को वरिष्ठता का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगी याचिकाकर्ता। इसी कारण से, 5 वें प्रतिवादी भी प्राप्त नहीं कर सकते याचिकाकर्ता पर वरिष्ठता। याचिकाकर्ता पदोन्नति पोस्ट में वरिष्ठता के पुनर्विचार का हकदार है, जो कि प्रतिवादी नोस 4 और 5 दोनों के ऊपर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को बनाए रखते हुए है।

(९) रिट याचिका, इसलिए, आंशिक रूप से अनुमति है। 3 उत्तरदाता से ऊपर वरिष्ठता के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने सीनियरिटी को प्रतिवादी नं। 4 और 5 के लिए रिफिक्स करने का हकदार है और उसे उच्च पद के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जो उस दिन से सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जब 4 वें प्रतिवादी को सभी परिणामी मौद्रिक लाभों के साथ पदोन्नत किया गया था।

(१०) उपरोक्त शब्दों में रिट याचिका का निपटान किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य

उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प। रिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा